

C.I

नामांतरण (दाखिल खारिज) के आवेदन पर कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन

नामांतरण मुकदमा संख्या..... २२७

गांव..... थाना..... थाना सं०.....

जिला-गिरिडीह, इस्टेट का नाम-झारखण्ड

नामांतरण का कारण..... केवाला नं०..... दिनांक.....

(दान, बटवारा, विक्रय उत्तराधिकारी आदि)

पूर्णतः या अंशतः

विक्रय रकवा

जरसन

खरीदार का पेश

खाता	अभिधारी का नाम	प्लॉट सं०	रकवा	लगान अलावे शेष	
नामांतरण (दाखिल खारिज) के पहले मूल होल्डिंग					
19	राजेश्वर राम	120			अं०अ० / अ०नि० महाशय, (1) आवेदित भूमि मौजा..... थाना नं०..... खाता नं०..... सर्वे खतियान में रैयति खाते की भूमि है। आवेदित भूमि के विक्रेता की जाति..... है जो अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ पिछड़ी जाति/ के उन 51 जातियों की सूची से जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है से बाहर है।
नामांतरण (दाखिल खारिज) के बाद मूल होल्डिंग					
					(2) विक्रय भूमि की जमाबंदी पंजी ॥ के जिल्द संख्या..... पर विक्रेता के..... के नाम से कायम है तथा लगान रसीद निर्गत होता है (3) विक्रेता द्वारा अपने हक हिस्से की जमीन बिक्री की गई है। जिस पर वर्तमान में क्रेता दखलकार है। (4) आवेदित भूमि का मूल केवाला से मिलान किया एवं सही पाया। (5) आवेदित भूमि गैरमजरूआ आम, खास केशरहिन्द, वन-सीमा, भूदान, भूहदबंदी, सैरात, सरकारी भूमि, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, मस्जिद, धर्मस्थल एवं भू-अर्जन से मुक्त है।
नया होल्डिंग					
19	आनवर अंशारी पिता अब्दुल जलील	120	3310		(6) इस नामांतरण से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (इ) का कोई उल्लंघन नहीं होता है अतः नामांतरण की स्वीकृति दी जा सकती है। राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर हल्का सं०.....

Forwarded

10.01.2023

अभिप्रेत उपस्थापित। प्रदीप अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाल, अजय कुमार अग्रवाल, कृष्णा कुमार अग्रवाल एवं अमन कुमार अग्रवाल द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है। उक्त आपत्ति के आसपास में उमय पत्तो को नोटिस निर्गत वारे। अभिलेख दिनांक 27.01.23 को रहे।

अंचल अधिकारी
इमरी

27.01.2023

अभिप्रेत उपस्थापित। आपत्तिकर्ता प्रदीप अग्रवाल उपस्थित एवं दायिरी कार्रवाई। विक्रेता संतोष कुमार अग्रवाल को उपस्थित की ओर से दायिरी नहीं दी गयी और न ही विपक्षी के सामने दायिरी हुए। अभिलेख दिनांक 03.02.2023 को रहे।

अंचल अधिकारी
इमरी

03.02.2023

अभिप्रेत उपस्थापित। उमय पत्त उपस्थित प्रदीप अग्रवाल वकी के तरफ से एक सादा दस्तावेज की आपत्ति दी गयी। विक्रीत जमीन के संवद में जो मौला धुलाडीह के खाता सं 19 प्लॉट सं 120 से संबंधित है, के संवद में प्रदीप अग्रवाल वकी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्लॉट में संतोष कुमार अग्रवाल वकी के द्वारा लेनी गयी जमीन के संवद में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है उनकी आपत्ति मौला धुलाडीह के अन्य प्लॉट पर है। इस तरह प्रदीप कुमार अग्रवाल की आपत्ति को खद किया जाता है एवं दायिरी - खारिज आवेदन वाद सं 624/2022-23, 623/2022-23, 622/2022-23, 625/2022-23, 641/2022-23, 621/2022-23 एवं 653/2022-23 को स्वीकृत किया जाता है।

अंचल अधिकारी
इमरी